BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

Office :19, Maharshi Dayanand Marg Allahabad-211 001
Allahabad Telephone : 2623501 Fax : 2420068
Email :- uttarpradeshbarcouncil@gmail.com, **Website:-** www.upbarcouncil.com
Camp Office : R 6/20, Vipul Khand, Gomti Nagar, Near Gurudwara, Lucknow

Paresh Mishra
Member & Former Chairman
Bar Council of Uttar Pradesh

Resi. : 42, Khursheed Bagh, Lucknow
Mobile : 9415005077
Email : adv.pareshmishra@gmail.com

Ref. :.....

Date. 18/09/2025

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार
5, कालिदास मार्ग,
लखनऊ (उ.प्र.)

विषय: बनारस के अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता एवं उत्पीड़न की उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेटी जाँच तथा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की माँग।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि विगत दिनों बनारस में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता एवं उत्पीड़न की घटनाएँ अत्यंत गंभीर, निंदनीय एवं न्याय व्यवस्था की गरिमा के विपरीत हैं। अधिवक्ता समाज सदैव विधि के शासन की स्थापना और न्यायिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है, किन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और सम्मान पर सीधा आघात है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में विभिन्न स्थानों पर भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की घटनाएँ घटित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से–

* प्रयागराज घटना: जहाँ अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार एवं मारपीट की, जिससे अधिवक्ता समाज आक्रोशित हुआ।

* हापुड़ घटना: जिसमें पुलिस उत्पीड़न का शिकार अधिवक्ता समुदाय को होना पड़ा और प्रदेशभर में विरोध दर्ज किया गया।

इन निरंतर घटनाओं से अधिवक्ता समाज के भीतर असुरक्षा एवं आक्रोश की भावना गहराती जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि—

1. बनारस की घटना की उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेटी जाँच करायी जाए।

2. दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. अधिवक्ताओं की गरिमा, सम्मान एवं सुरक्षा की रक्षा हेतु ठोस कदम उठाए जाएँ।

4. प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम (Advocate Protection Act) शीघ्र लागू किया जाए, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा कानूनी रूप से सुनिश्चित हो सके।

5. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएँ।

मान्यवर, यदि इन माँगों पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर ठोस कार्यवाही नहीं की गई, तो समस्त अधिवक्ता समाज विवश होकर प्रदेश-स्तरीय एक बड़ा आंदोलन करेगा।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही इस विषय में संवेदनशीलता दिखाकर अधिवक्ताओं को न्याय एवं संरक्षण प्रदान करेंगे।

Paresh Mishra

(परेश मिश्र)
(सदस्य व पूर्व अध्यक्ष)
बार काउंसिल, उ० प्र०